राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2014/6595-605 जयपुर,दिनांकः 22.5.15
जिला कलेक्टर,(सहायता)
जालौर (राज0)।

विषयः— अभाव संवत् 2071 में अभावगग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

सन्दर्भः— आपका पत्र कमांक 1673 दिनांक 18.05.15 के कम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क. एफ1(1)(4) आ.प्र.सआ/ सामान्य/ 2014/ 10908—44 दिनांक 19.10.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 31.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अभाव संवत् 2071 में अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तो की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ लेने की अनुशंसा पत्र दिनांक 18.05.15 के आधार पर एवं भारत सरकार के पत्रांक 32—3/2013—NDM-I दिनांक 28.11.2013 के द्वारा जारी संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डो के बिन्दु सं. 6(ii) के अनुसार अभाव संवत् 2071 में आपके जिले की पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु अनुदान **जारी दिनांक से 30 दिवस तक** स्वीकृत करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

क्र. सं.	तहसील का नाम	पंजीकृत गौशाला का नाम	गौशालाओं में संधारित पशुओं की संख्या		
			छोटे पशु	बड़े पशु	योग
1	जालौर	श्री महावीर जीवदया गौशाला, जालौर	219	356	575
2	जालौर	श्री सारणेश्वर शिव गौशाला ट्रस्ट सियाणा	45	112	157
3	जालौर	श्री जीवदया गायत्री गौशाला, बागरा	17	201	218
4	जालौर	श्री शांतीनाथ गौशाला ट्रस्ट, बाकरारोड	73	333	406
5	जालौर	श्री उम्मेदाबाद जैन गोसेवा व जीवदया समिति,उम्मेदाबाद	91	111	202
6	जालौर	श्री पिपलेश्वर गो सेवा संस्था, आकोली	20	84	104
7	जालौर	श्री सुनैत्रा माताजी गावेर्धन गौशाला समिति, नून	125	190	315
8	जालौर	श्री अम्बाजी धाम गौशाला संस्थान, ओड़वाड़ा कतरास	36	109	145
9	जालौर	श्री राजाराम गौशाला संस्था, बैरठ	69	147	216
10	जालौर	श्री सिलेश्वर गौशाला संस्थार, माण्डवला	79	101	180

11	आहौर	श्री जैन समाज गौशाला, आहोर	192	596	788
12	आहौर	श्री सोदरामाता गौशाला, गुडाबालोतान	119	400	519
13	आहौर	श्री गोपाल गौशाला, संस्थान धाणा	398	612	1010
14	आहौर	श्री सुभद्रा गौशाला सेवा समिति, सांकरणा	47	221	268
15	सायला	श्री वर्धमान जीवदया समिति सायला	343	514	857
16	सायला	श्री रामदेव गौसंवर्धन गौशाला समिति, रेवतडा	124	294	418
17	सायला	श्री शिव गौशाला संस्थान भूण्डवा	55	210	265
18	सायला	श्री श्रीराम गौशाला समिति सिराणा	53	238	291
19	सायला	श्री राधेश्याम गौशाला समिति खरल	34	70	104
20	सायला	श्री बाणमाताजी गौशाला संस्थान, ओठवाला	48	93	141
21	सायला	श्री खगोसी माता गौशाला संस्थान, चौराउ–मौकनी	114	147	261
22	सायला	श्री शिवदत्त गौशाला पांचलाईनाडी संस्थान दादाल	93	194	287
23	भीनमाल	श्री जीवदया गौशाला, भीनमाल	169	1430	1599
24	भीनमाल	श्री गायत्री गौसेवा समिति भीनमाल	191	612	803
25	भीनमाल	श्री शम्भुगिरी गौशाला ट्रस्ट पुनासा	181	277	458
26	भीनमाल	श्री सनातन धर्म जीवदया गौशाला, कोरानगर	20	213	233
27	भीनमाल	श्री गोपाल कृष्ण गौशाला, भीनमाल	250	538	788
28	भीनमाल	श्री बाबा रामदेव गौसेवा संस्थान, वियो का गोलिया	65	125	190
29	भीनमाल	श्री जागेश्वर गौसेवा समिति, जुजाणी	45	104	149
30	बागोडा	श्री चौमुण्डामाता जीवदया गोशाला, अरणु	55	236	291
31	बागोडा	श्री महन्त धनगिरीजी गोसवा संस्थान,, वाडामाडवी	30	280	310
32	बागोडा	श्री धुंधलेश्वर महादेव प्रेम गौशाला, गजीपुरा	20	208	228
33	जसवंतपुरा	श्री आशापुरा माताजी गोशाला, मोदरा	165	425	590
34	रानीवाडा	श्री जीवदया खाता आजोदर	25	55	80
35	रानीवाडा	श्री सिद्धर्षी गुरू राजेन्द्र बबीबेन गुमानमल दोशी गौशाला, रानीवाडाखुर्द	17	80	97
36	रानीवाडा	श्री संघवी कुकुबाई वरदीचन्दजी गौरी गौशाला जीवदया मालवाडा	152	576	728
37	रानीवाडा	श्री जीवदया,गौशाला पांजरापोल समिति कागमाला(कुन्दनपुर)	33	256	289
38	रानीवाडा	श्री गुरू दत्तात्रेय गोसेवा समिति	98	2159	2257

		घानोल			
39	सांचोर	श्री महावीर जीवदया गौशाला, सांचोर	372	579	951
40	सांचोर	श्री सत्यपुर गौशाला मण्डल सांचौर	280	603	883
41	सांचोर	श्री सनातन गौसेवा आश्रम पथमेडा	0	115	115
42	सांचोर	श्री सुरभी गोसेवा आश्रम पथमेडा	42	68	110
43	सांचोर	श्री धनवंतरी गौसेवा आश्रम मेडाजगीर	388	771	1159
44	सांचोर	श्री धेनुकेश्वर गौसेवा आश्रम पथमेडा	0	115	115
45	सांचोर	श्री भारतमाता गौसेवा आश्रम पथमेडा	10	812	822
46	सांचोर	श्री भृगुऋषि गोसेवा आश्रम मेडाजागीर	0	135	135
47	सांचोर	श्री मुरलीधर गौसेवा आश्रम पथमेडा	60	98	158
48	सांचोर	श्री कामधेनु गौसेवा आश्रम पथमेडा	99	0	99
49	सांचोर	श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला पथमेडा	597	5159	5756
50	सांचोर	श्री लक्ष्मीनारायण गोसेवा आश्रम प्रतापुरा	3	207	210
51	सांचोर	श्री केदारेश्वर गौसेवा आश्रम चौरा	10	17	27
52	सांचोर	श्री शिवशक्ति गोसेवा आश्रम लुणियासर	36	134	170
53	सांचोर	श्री बालगोपाल गौसेवा आश्रम घुडया	0	32	32
54	सांचोर	श्री राजऋषि दिलिप गौसेवा आश्रम पिरोल	30	521	551
55	सांचोर	श्री महावीर हनुमान गौवंश एवं पर्यावरण संरक्षण गौशाला गोलासन	895	13601	14496
56	सांचोर	श्री ब्रह्मर्षि रतनदेव गौसेवा श्रम वासन चौहान	17	95	112
57	सांचोर	श्री ठाकुर गौसेवाश्रम पालडी सोलकियान	1038	1453	2491
58	सांचोर	श्री सत्यकामा गौसेवाश्रम दांता	14	88	102
59	सांचोर	श्री दत्तात्रेय गौसेवा आश्रम पथमेडा	0	130	130
60	चितलवाना	श्री भंसाली उम्मेद गौशाला झाब	91	251	342
61	सांचोर	श्री हाडेचा नगर गौसेवा समिति, हाड़ेचा	250	394	644
62	चितलवाना	श्री महर्षि वशिष्ठ गौसेवा आश्रम आमली	39	445	484
63	चितलवाना	श्री खेतेश्वर गौशाला आश्रम आशापुरा वन खिरोडी	248	1837	2085
		कुल योग	8429	40567	48996

इसी अनुक्रम में निम्न दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावें:–

1 **अनुदान दरः** –

गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं के बड़े पशु हेतु 50/– रूपये तथा छोटे पशु हेतु 25/– रूपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।

2. **पशु आहार**–

(i) निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ–साथ क्रमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथ 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पशु आहार की राशि क्रमशः 11/– रूपये बड़े पशु तथा 5.50 रूपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।

(ii) आर.सी.डी.एफ/राजफैड द्वारा निर्मित एवं राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा क्रय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही अनुदान देय होगा।

3. **निरीक्षण मापदण्ड** :–

अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावें। निरीक्षण के लिए न्यूतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित

4. **अनुदान की देयताः**–

यहा भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है, उसके लिए जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

(i) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो ।

(ii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालओं में निम्न लिखित रजिस्टरों का संधारण कराया जावें।:–

क. खरीद एवं स्टाक रजिस्टर
ख. पशुओं का रजिस्टर
ग. दैनिक खर्च रजिस्टर
घ. दैनिक खर्च का हिसाब

(iii) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशलाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

5. **भुगतानः**–

गौशला द्वारा सरंक्षित किये जा हे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा कियें जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

6. **पशु संख्याः**–

गौशालाओं के पशुओं की संख्या सक्षम अधिकारी, कम से कम उपखण्ड अधिकारी स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि स्वीकृति के आदेश समय पर ही जारी किये जा सके।

7. **<u>पशु संख्या में बढोतरी</u>** :–

विगत वर्षो में यह देखा गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा सूचित संख्या के आधार पर गौशाला अनुदान की स्वीकृति जारी की गई । उक्त संख्या बिना सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के आधार पर बताई गई। गौशालाओं के पशुओं में वृद्धि होने की दशा में कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही आगामी माह की 20 तारीख से पूर्व तक बढे हुए पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें,ताकि बढी हुई संख्या के आधार पर स्वीकृति आदेश समय पर जारी किये जा सके।

8 स्वीकृत गौशालाओं का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरक्षण/ विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

9. किसी भी गौशाला संचालक संस्था जिसके माध्यम से गौशाला संचालित की जा रही है, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं को स्वीकृति दी जाये।

10. पंचायत/संस्था का नाम अंकित कर स्वीकृति जारी करते समय स्थल का नाम भी अंकित करावें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

21/5/15

शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज.,जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन एवं प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

शासन संयुक्त सचिव

21/5